

भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी; उभरती नवीन चुनौतियाँ और उनके समाधान

डॉ. अमित कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, हिन्दू पी.जी. कॉलेज, जमनियाँ, गाजीपुर (उ.प्र.)

सारांश

किसी भी देश की विदेश नीति, उस देश की भू-राजनैतिक अवस्थिति, राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय दर्शन का व्यावहारिक प्रतिरूप होता है। भारत अपने आठ निकटस्थ पड़ोसी देशों से स्थलीय या समुद्री सीमा साझा करता है। आजादी के समय से ही भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों का पक्षधर रहा है। पंचशील समझौता एवं गुजराल डॉक्ट्रिन भारत की अनूठी सार्थक पहलों में से एक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को विशेष रियायत एवं तरजीह देता है। भारत की प्रथम पड़ोस की नीति सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि एवं सहयोग की समन्वयकारी पहल है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, परिवहन, सुरक्षा, शांति सहयोग एवं समन्वय के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ नीतिगत मतभेदों के कारण पड़ोसी देशों के रिश्तों में सहजता और मधुरता का अभाव रहता है। भारत अपने पड़ोसी देशों से सीमा पार आतंकवाद, अवैध प्रवासन, ड्रग्स एवं मानव तस्करी जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों के कारण अक्सर परेशान रहता है। लेकिन फिर भी अपने पड़ोसी देशों के साथ सभी समस्याओं का समाधान द्विपक्षीय आधार पर करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ जारी विवादों के कारण दक्षिण-एशिया में शांति, सहयोग एवं विकास अपने वांछित मुकाम हासिल नहीं कर सके हैं। जरूरत है कि सभी देश अपनी समस्याओं का समाधान द्विपक्षीय आधार पर अवश्य करें, ताकि दक्षिण-एशिया में विकास के साथ-साथ शांति एवं सद्भाव का वातावरण निर्मित हो सके।

प्रमुख शब्द - विदेश नीति, राष्ट्रीय हित, पंचशील समझौता, गुजराल डॉक्ट्रिन, संप्रभुता, सीमा पार आतंकवाद, ड्रग तस्करी, दोहरी कर व्यवस्था, मुक्त व्यापार समझौता, अवैध प्रवास, आंतरिक सुरक्षा

प्रस्तावना-

किसी भी देश की विदेश नीति, उस देश की भू-राजनैतिक अवस्थिति, राष्ट्रीय दर्शन और राष्ट्रीय हित का व्यावहारिक प्रतिरूप होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश होने के साथ-साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। भारत की भू-राजनैतिक अवस्थिति, भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाभकारी स्थिति तो प्रदान करती है, लेकिन कुछ पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद, भारत के लिए अक्सर तनाव भी पैदा करता है। भारत, सात देशों के साथ स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा (15200 किमी.) और चार देशों के साथ समुद्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा (6100 किमी.) साझा करता है। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव आदि प्रमुख हैं। भारत अपनी आजादी के समय से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों का पक्षधर रहा है। भले ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी पृथक नीति का निर्माण नहीं किया गया, लेकिन गुटनिरपेक्षता एवं पंचशील सिद्धांत के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंधों के पक्षधर रहे लेकिन पाकिस्तान और चीन का रवैया बिल्कुल इसके प्रतिकूल रहा।

पाकिस्तान का कश्मीर पर हमला और कश्मीर के एक-तिहाई भाग (32000 km) पर अनधिकृत कब्जा। इसी प्रकार चीन द्वारा भारत पर 1962 में हमला और अक्सई चीन पर अवैध कब्जा। आगे चलकर 1965 में पाकिस्तान का भारत

पर आक्रमण और 1971 में भारत-पाक युद्ध के पश्चात बांग्लादेश के निर्माण के कारण भारत-पाकिस्तान के संबंध अत्यंत खराब हो गए। सीमा पार आतंकवाद ने भारत-पाक रिश्तों में और कड़वाहट भर दी। इंदिरा गांधी ने अपने पड़ोसी देशों के साथ जैसे का तैसा यानी टिट फॉर टैट की नीति अपनाने में कोई गुरेज नहीं किया, हालांकि इंदिरा गांधी के शासन काल में श्रीलंका को कच्चातिव द्वीप और बांग्लादेश को तीन बीघा गलियारा सौंप दिया गया। नब्बे के दशक के पश्चात भारतीय विदेश नीति में पड़ोसी देशों के स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों पर विशेष बल प्रदान किया गया और एकतरफा रियायत की नीति अपनाई गई, जिसे हम गुजराल डॉक्ट्रिन (1997) के नाम से जानते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन के माध्यम से पड़ोसी देशों को विशेष तरजीह और रियायत देकर संबंधों में सकारात्मक सुधार लाने का विशेष प्रयास किया गया।

गुजराल डॉक्ट्रिन (1997) के पाँच प्रयोजन-

- (क) बिना अपेक्षा भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करना।
- (ख) किसी भी दक्षिण एशियाई देश द्वारा अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ अपने संप्रभु राज्यक्षेत्र का गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए प्रयोग न करना।
- (ग) सभी दक्षिण-एशियाई देशों द्वारा एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना।
- (घ) सभी दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
- (ङ.) सभी विवादों का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान करना।

साहित्य समीक्षा -

संपादित पुस्तक - 'इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी : चैलेंजेज एंड अपॉर्च्युनिटीज' (2024) में मुख्य संपादक प्रो. विनोद कुमार सिंह और अन्य सह-लेखकों ने भारत एवं इसके निकटस्थ पड़ोसी देशों के मध्य राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक संबंधों के साथ-साथ आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विश्लेषण किया है। भू-राजनैतिक अवस्थिति, सहयोग एवं अवसर के विभिन्न आयामों पर सार्थक चर्चा की गई है।

लेखक दिनेश कुमार एवं काशीनाथ राव कांबले ने अपनी पुस्तक इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी : स्ट्रेटजी, चैलेंजेज एंड अपॉर्च्युनिटीज (2026) में साउथ-एशियाई देशों के मध्य राजनीतिक, सामरिक एवं कूटनीतिक संबंधों का ऐतिहासिक विश्लेषण किया है। भारत एवं इसके पड़ोसी देशों के मध्य व्यापार, सुरक्षा, परिवहन एवं सांस्कृतिक विनिमय पर वर्तमान चुनौतियों और अवसरों पर तार्किक विश्लेषण एवं समस्या समाधान प्रस्तुत किया गया है।

लेखक डॉ. रहीमुद्दीन द्वारा अपनी पुस्तक- 'इंडियाज सक्सेसफुल डिप्लोमेसी नेबरहुड फर्स्ट (2023), में भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारतीय कूटनीति एवं रणनीति का गहन विश्लेषण किया गया है। इसमें ऐतिहासिक संदर्भ के साथ पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के विभिन्न आयामों का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है।

शोध-प्रविधि :- इस शोध-कार्य में ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक शोध विधि के तहत भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मूल्यांकन किया गया है। मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का सहारा लेते हुए भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें,

शोधपत्रों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों एवं विश्वसनीय इंटरनेट स्रोतों का सहारा लिया गया है।

शोध का उद्देश्य -

1. भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सफलता एवं सार्थकता का मूल्यांकन करना
2. भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों के संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण करना।
3. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के समक्ष समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना।
4. पड़ोसी देशों के साथ भारतीय विदेश नीति को प्रासंगिक बनाने की राह तलाशना।

वर्ष 2008 के बाद भारत के निकटस्थ पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव निरंतर बढ़ता गया। तत्पश्चात भारत ने गुजराल डॉक्ट्रिन का सख्ती से पालन शुरू कर दिया। 2008 में ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की परिकल्पना की गई। इसके संपर्क सिद्धांतों को 5- S के नाम से जाना जाता है-

- (1) S- (सम्मान)
- (2) S- (संवाद)
- (3) S- (शांति)
- (4) S- (समृद्धि)
- (5) S- (संस्कृति)

विश्लेषण और परिणाम-

भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के तहत उठाए गए महत्वपूर्ण कदम-

भूटान :- 8 अगस्त 1949 की भारत- भूटान संधि को 2007 में व्यावहारिक और परस्पर लाभकारी बनाया गया। इससे भूटान की संप्रभुता को अत्यधिक मजबूती प्राप्त हुई है। जून 2017 के डोकलाम गतिरोध में भारत ने भूटान का साथ दिया। भारत भूटान व्यापार और पारगमन समझौता 1972 का नवम्बर 2016 में नवीनीकरण किया गया और जुलाई 2017 से लागू हुआ इससे दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित हुई है। वर्ष 2000 से 2017 के बीच भूटान को भारत द्वारा लगभग 4.7 बिलियन डॉलर का सहयोग। प्रोजेक्ट 'दंतक' के द्वारा भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा 1800 km सड़कों का निर्माण भारत द्वारा भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग ₹ 10000 करोड़ का आर्थिक सहयोग। भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में भूटानी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं प्रशिक्षण। गेलेफू (भूटान) को विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने में भारत का सहयोग।

नेपाल :- वर्ष 2011 में भारत द्वारा नेपाल के साथ दोहरी कर व्यवस्था को समाप्त करना और आर्थिक रियायत प्रदान करना। गोरखा रेजिमेंट में नेपाली लोगों को भर्ती का अवसर देना। वर्तमान समय में नेपाल से लगभग 32000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में सेवारत हैं। वर्ष 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के समय 67 मिलियन डॉलर की राहत सामग्री एवं अनुदान। रियायती ऋण सहित 1 बिलियन डॉलर पैकेज की घोषणा।

श्रीलंका:- भारत ने वर्ष 1974 में कच्चातिव द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। 1998 में श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता। वर्ष 2022 में 4 बिलियन डॉलर की सहायता (आर्थिक संकट के समय)। वर्ष 2025 में श्रीलंका के ऋण नवीनीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए 100 मिलियन डॉलर ऋण को अनुदान में परिवर्तित करना। हिन्द महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री व्यापार एवं संपर्क हेतु 2015 में SAGAR (security and Growth for All in

the Region) की घोषणा।

पाकिस्तान- सिंधु नदी जल समझौता 1960 - भारत की उदारता का जीवंत प्रमाण। वर्ष 1965 एवं 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के बावजूद यह समझौता अपने अस्तित्व में बना रहा। भारत ने पाकिस्तान को वर्ष 1994 में सर्वाधिक वरीय राष्ट्र (MFN-Most Favoured Nation) का दर्जा दिया। कोविड-19 के समय दवा एवं चिकित्सा संबंधी सहायता।

बांग्लादेश - वर्ष 1974 में तीन बीघा गलियारा बांग्लादेश को देने की घोषणा 26 जून 1992 को तीन बीघा कॉरीडोर बांग्लादेशी नागरिकों के आवागमन के लिए खोला गया। वर्ष 2014 में 119वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा भारत-बांग्लादेश भूमि समझौते का प्रस्ताव पारित। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा 51 बांग्लादेशी इन्क्लेव भारत को और 111 भारतीय इन्क्लेव बांग्लादेश को स्थानांतरित किए गए। वर्ष 2017 में भारत द्वारा बांग्लादेश को 4.5 अरब डॉलर का ऋण। BBIN - बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल समूह का गठन। आर्थिक सहयोग एवं संपर्क को बढ़ावा देने के लिए।

अन्य महत्वपूर्ण भारतीय कदम एवं सहयोग -

6 जून 1997 को BIMSTEC की स्थापना। भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। वर्ष 1954 - पंचशील समझौता, चीन के साथ। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में निवेश एवं सहयोग। उदाहरणस्वरूप-हेरात में हरीरूद नदी पर सलमा बांध। अफगानिस्तान के लिए उदार बीजा नीति जुलाई 2019 से प्रभावी अफगानिस्तान की संसद निर्माण में सहयोग। (710 करोड़ रुपये की सहायता) अफगानी छात्रों के लिए भारतीय छात्रवृत्तियाँ, उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर। मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ऑपरेशन नीर के द्वारा 2014 में मालदीव में जल संकट के समय पानी उपलब्ध कराया। भारत अपने सॉफ्ट लैंडिंग का लगभग 50% हिस्सा अपने पड़ोसी देशों को देता है। भारत ने वर्ष 2020 में 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सॉफ्ट लैंडिंग अपने पड़ोसी देशों को दिया था।

नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के समक्ष चुनौतियाँ -

(A) सीमा-विवाद - भारत का अपने पड़ोसी देशों प्रमुखतः पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल आदि के साथ सीमा विवाद है। हालांकि कुछ देशों के साथ सीमा विवाद का हल निकाला जा चुका है, लेकिन बहुत सारे सीमा विवाद आज भी जीवंत हैं। पाकिस्तान के साथ सियाचीन से लेकर सरक्रीक तक सीमा विवाद। पाक अधिकृत कश्मीर (POK) की समस्या। चीन के साथ अक्साई चीन विवाद। चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर दावा। गलवान घाटी एवं डोकलाम पठार पर विवाद। नेपाल के साथ भारत के उत्तराखंड राज्य के लिम्पियाथुरा, कालापानी एवं लिपुलेख क्षेत्र को लेकर विवाद। बिहार राज्य के सुस्ता क्षेत्र को लेकर विवाद। बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल विवाद। श्रीलंका के साथ कच्चातिव द्वीप विवाद (विशेषकर तमिलनाडु द्वारा विरोध) वर्ष 1974 में इंदिरा गाँधी के द्वारा इस द्वीप को हस्तांतरित किया गया। तमिलनाडु की सरकार इस हस्तांतरण को गैर-कानूनी मानती है क्योंकि कच्चातिव द्वीप हस्तांतरण हेतु भारतीय संसद में कोई कानूनी प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया था।

(B) सीमा पार आतंकवाद (Cross Border Terrorism): पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के कारण भारत-पाक रिश्ते सर्वाधिक रूप से दुष्प्रभावित हुए हैं। सीमा पार आतंकवाद से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य जम्मू-काश्मीर रहा है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल (SATP) के अनुसार केवल जम्मू-काश्मीर में वर्ष 2000 से 2026 तक 4983 सामान्य नागरिक, 3634 सुरक्षा बल, 13437 - आतंकवादी / उग्रवादी, 423- अन्य / अज्ञात लोग अपनी

जान गँवा चुके हैं।

6 मार्च 2000 से 27 अगस्त 2026 तक जम्मू-काश्मीर के साथ साथ भारत में आतंकवादी हिंसा के कारण कुल मौतों का विवरण

श्रेणी	मौतें (J & K)	भारत में
नागरिक	4983	14606
सुरक्षा बल	3634	7622
आतंकवादी / उग्रवादी	13437	24895
अन्य / अज्ञात	423	1214
कुल	22477	48337

स्रोत : साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल - (satp.org).

(C) अवैध प्रवासियों की समस्या: पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में बढ़ती अवैध प्रवासियों की संख्या, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। कुछ मामलों में जाली दस्तावेजों के आधार पर पहचान-पत्र प्राप्त किए जाने की आशंका व्यक्त की गई है। इससे अवैध प्रवासियों की पहचान काफी मुश्किल हो रही है। अवैध प्रवासियों की सटीक वर्तमान संख्या के लिए प्रमाणित आधिकारिक आँकड़ों की आवश्यकता है। पूरे देश में एन. आर. सी (NRC) लागू नहीं होने के कारण अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की समस्या यथावत बनी हुई है। इससे पड़ोसी देशों मुख्यतः बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका के साथ प्रथम पड़ोसी की नीति दुष्प्रभावित हो रही है।

भारत में सीमापार विस्थापन से जुड़े समुदाय -

नाम	समुदाय	मूलनिवासी	प्रभावित भारतीय राज्य
चकमा	बौद्ध	बांग्लादेश (चटगाँव पहाड़ी)	पूर्वोत्तर राज्य
हाजोंग	हिन्दू	बांग्लादेश	पूर्वोत्तर राज्य
रोहिंग्या	मुस्लिम	म्यांमार का रखाइन प्रांत	J&K, दिल्ली, NCR, हरियाणा

नोट - चकमा और हाजोंग समुदायों के संबंध में 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के निर्देश दिए; इन समुदायों के सभी सदस्यों को अवैध प्रवासी नहीं माना जा सकता।

(D) अलगाववाद की समस्या- दक्षिण एशिया के माओवादी दलों एवं संगठनों की समन्वय समिति कमपोसा - जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका के दस माओवादी दल शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय केन्द्रीकरण को

रोकना है। इसमें मुख्य रूप से नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड - खापलांग गुट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड आदि अलगाववादी संगठन शामिल हैं। ये सभी संगठन- ग्रेटर नागालैंड (नागालिम) बोडोलैंड, तानीलैंड (अरुणाचल एवं असम के हिस्से को मिलाकर) एवं गारोलैंड (मेघालय) जैसे अलग देश या स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना चाहते हैं। इन संगठनों को फंडिंग/वित्त पोषण या तो विदेशी देशों द्वारा किया जाता है या ड्रग या मानव तस्करी से अर्जित आय से होता है। ग्रेटर नागालैंड (नागालिम) की माँग एक राजनीतिक एवं जातीय सोच का परिणाम है। इसमें नागालैंड के साथ-साथ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम एवं म्यांमार के नागा बहुल क्षेत्र को एकल प्रशासनिक इकाई में लाने की परिकल्पना है। जून 2015 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार के सीमा के करीब स्थित इन अलगाववादी संगठनों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके पश्चात भारत एवं म्यांमार के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई थी।

(E) ड्रग्स और मानव तस्करी की समस्या: भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, स्वर्णिम त्रिभुज-म्यांमार, थाइलैंड एवं लाओस का त्रिकोण अवस्थिति के करीब होने के कारण आसानी से ड्रग्स तस्करी का पारगमन मार्ग बन जाता है। इससे भारत में ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार भारत का उत्तरी-पश्चिम भाग गोल्डेन क्रिसेंट (Golden crescent- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का क्षेत्र) के करीब होने के कारण मादक द्रव्यों का सहज पारगमन मार्ग बन जाता है एवं दुर्भाग्यवश भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र ड्रग्स तस्करी एवं मानव तस्करी का हब बनता जा रहा है। धीरे-धीरे भारतीय युवा ड्रग्स, संगठित अपराध एवं नार्को टेररिज्म जैसे गैर-कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित होते जा रहे हैं। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक नवीन चुनौती खड़ी हो चुकी है। विश्व का सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश भारत, ड्रग्स तस्करी एवं मानव तस्करी का वांछित केन्द्र बनता जा रहा है। इसमें पड़ोसी देशों की संलिप्तता जगजाहिर है।

वर्ष 2025 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जप्त मादक द्रव्य एवं गिरफ्तारी

सूचक	वर्ष 2025 में कुल मात्रा (संख्या)
जस्त मादक दल्य	1,33,965 kg
जस्त मादक दलों का अनुमानित मूल्य	1980 करोड़ रुपये
ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी	994
दर्ज मामले	497
दोषसिद्ध अपराधी	265
दोषसिद्धि दर	67%

स्रोत :- NCB 2025

सूचक	वर्ष 2023 में
मानव तस्करी के मामले	2183

तस्करी के शिकार व्यक्ति	6288
शिकार बच्चे	2687
शिकार वयस्क	3601
बचाए गए पीड़ित	6043
गिरफ्तार व्यक्ति	6024

स्रोत: NCRB Report 2023

(F) चीन का बढ़ता प्रभाव - दक्षिण एशियाई देशों में चीन का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक समय था, जब भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ बिग ब्रदर की भूमिका का निर्वहन करता था। लेकिन चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत की भूमिका पर अब प्रश्नचिह्न खड़ा होने लगा है। भारत के पड़ोसी देश मुख्यतः श्रीलंका, नेपाल एवं मालदीव समय-समय पर चीन के साथ अपने संबंधों को भी रणनीतिक महत्त्व देते रहे हैं। चीन का वन वेल्ड वन रोड की पहल भारतीय संप्रभुता के अनुकूल नहीं है। श्रीलंका पर चीनी ऋण के आर्थिक प्रभाव को लेकर बहस होती रही है।

पाकिस्तान की सामरिक निर्भरता निरंतर चीन पर बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपने कुल सैन्य हथियार आयात का 80% हिस्सा केवल चीन से हासिल करता है। पाकिस्तान का ग्वादर और श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह अब चीन के व्यापारिक नियंत्रण में आ चुका है। स्ट्रिंग ऑफ पलर्स रणनीति के तहत हिन्द महासागर में चीन का प्रभाव चिंताजनक है। दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर की स्वीकृति भी भारत के लिए चिंताजनक है। बांग्लादेश के साथ चीन का व्यापार भारत की तुलना में लगभग दोगुना है। नेपाल का चीन की तरफ झुकाव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के समक्ष कई यक्ष प्रश्न खड़े कर देता है। बांग्लादेश भी अपने हथियार आयात का लगभग तीन चौथाई हिस्सा चीन से करता रहा है। (वर्ष 2017-2023 तक लगभग 72%)।

(G) सार्क जैसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन का अभाव -

(H) भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली उपाय का अभाव।

(I) पड़ोसी देशों में सैन्य तख्ता पलट- मुख्यतः पाकिस्तान और म्यांमार में।

(J) भारत विरोधी भावनाएँ- जैसे मालदीव में इंडिया आउट' अभियान।

(K) एक-दूसरे की घरेलू राजनीति को दुष्प्रभावित करना।

(L) पाकिस्तान के साथ नीतिगत मतभेद और विश्वास का अभाव।

समाधान और संभावनाएँ -**सीमा विवाद और नदी-जल विवाद का समाधान -**

हालांकि सीमा विवाद का समाधान आसान नहीं होता है, लेकिन सच्ची नीयत और दृढ़ संकल्प से इसका समाधान

निकाला जा सकता है। द्विपक्षीय बातचीत ही सबसे कारगर उपाय है। पंचशील सिद्धांत एवं गुजराल डाक्ट्रिन को सभी एशियाई देशों के द्वारा मान्यता देने के साथ-साथ अंगीकृत और आत्मसात करने की नितांत आवश्यकता है, ताकि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का निर्माण हो सके। अवैध प्रवासन, ड्रग्स और मानव तस्करी तथा सीमा पार आतंकवाद की समस्या का समाधान द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। नियमित राजनीतिक संवाद। पीपुल्स टू पीपुल्स कनेक्टिविटी को शिक्षा, खेल एवं पर्यटन के माध्यम से विस्तृत करना एवं चिकित्सा पर्यटन का विकास। यूरोपियन यूनियन जैसे क्षेत्रीय संगठन का निर्माण ताकि वस्तु, सेवा, श्रम एवं पूंजी की मुक्त आवाजाही संभव हो सके। स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण। छोटे पड़ोसी देशों की चिंताओं का सम्मान और संबंधों में समानता, बंधुता का विकास। भूकंप, बाढ़, चक्रवात और महामारी जैसी आपदा के समय त्वरित मानवीय सहायता और संयुक्त आपदा प्रबंधन तंत्र का विकास। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और मालदीव के साथ प्रत्यर्पण संबंधी सहयोग को सुदृढ़ करने की जरूरत। भारत की अफगानिस्तान (2016), नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ हैं।

निष्कर्ष-

भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। पाकिस्तान और चीन के साथ तो युद्ध की नौबत आ चुकी है। बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन तीस्ता नदी जल विवाद अभी भी अपने अस्तित्व में है। नेपाल के साथ सीमा विवाद आंशिक रूप से है। चीन के साथ सीमा विवाद अक्सर सैनिक झड़प में तब्दील हो जाता है। वर्तमान समय में बांग्लादेश के साथ संबंध सामान्य नहीं हैं, विशेषकर बांग्लादेश में आंदोलन के पश्चात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में शरण देने की घटना। प्रत्यर्पण संधि के बावजूद शेख हसीना का प्रत्यर्पण अभी तक नहीं हो सका है। चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एवं मालदीव भारत से संबंध थोड़ा नकारात्मक हो चुका है। कुछ पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी राजनीतिक अभियान भी सामने आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। पड़ोसी देशों के साथ समस्या का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर करना चाहता है। वर्ष 2016 के बाद सार्क की निष्क्रियता के उपरांत भारत द्वारा बिस्मटेक को ज्यादा महत्व दिए जाने और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बावजूद पड़ोसी देशों के साथ संबंध एवं सहयोग अपना वांछित मुकाम हासिल नहीं कर सके हैं। हालांकि भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध एवं सहयोग बेहतर करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे- भारत अपने सॉफ्ट लैंडिंग का 50% हिस्सा केवल अपने पड़ोसी देशों को देता है। आपदा के समय भारत की तत्परता एवं सहयोग, मानवता की मिसाल है, जैसे- ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन मैत्री आदि। भारत, श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है और इसे पड़ोसी देशों में विस्तारित करना चाहता है। यही नहीं भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, सहयोग एवं सम्मान का हमेशा पक्षधर रहा है

संदर्भ-

- (1) पंत पुष्पेश, (2014), 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मैकग्राहिल एडुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली PP.Y35-52
- (2) मिश्रा राजेश, (2015), भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति सरस्वती आई. ए. एस, नई दिल्ली PP-119-123
- (3) रहीमुद्दीन (2023), इंडियाज सक्सेसफुल डिप्लोमेसी नेवरहुड फर्स्ट, शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली

- (4) सिंह विनोद, यादव आरती (2024), इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी: चैलेन्जेस एंड ऑप्सन्स, डिस्काउन्ट ग्रुप पब्लिकेशन गोरखपुर,
- (5) कुमार दिनेश, कांबले काशीनाथराव, (2026), इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चार्टर बुक पब्लिकेशन, दिल्ली
- (6) अर्याल सरोज कुमार, पुलामी मनीष जंग, (2016), इवोल्युसन ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लिडरशिप एंड स्ट्राटेजी, राउटलेज पब्लिकेशन
- (7) अप्पादोरई, A, (1981), द डेमोक्रेटिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी 1942-1973, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली